न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 60/2004

आरसीएमएस नं. 2004/00040

श्रवण राम पुत्र बीरूराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
(राज0)–फौत

1. शांति देवी पत्नी श्रवण राम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा।
2. साहबराम पुत्र श्रवण जाति जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत

   2/1 चान्दनी बेवा साहबराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा

   2/2 इन्द्रपाल
   2/3 रामस्वरूप
   2/4 मंजू
   } पि0 साहबराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा नावालिगान जरिये माता चान्दनी वेवा साहवराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा

3. नौरंग लाल पुत्र श्रवण जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा
4. फूलां देवी
5. सीतादेवी
6. मोहरां देवी
7. कलावती
8. सावित्री

} पुत्रियां श्रवण जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजाराम पुत्र बीरूराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत

   1/1 सिंगारी पत्नी राजाराम
   1/2 विमला
   1/3 सुमित्रादेवी } पुत्रियां राजाराम

   } जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

2. हंसराज पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना पीलीबंगा–फौत

2/1 डाली पुत्री हंसराज } जाति ओड निवासी लुढाना हाल चक 25 एमडी
2/2 मनोहर पुत्र हंसराज } तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।

2/3 चन्द्रभान पुत्र हंसराज –(कुंआरा फौत)

3. झींवर राम पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा हाल चक 25 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगांगनगर –फौत

3/1 कमला देवी पत्नी झींवरराम

3/2 रामलाल पुत्र
3/4 रामदयाल पुत्र
3/5 निर्मला पुत्री
3/6 किस्तूरी पुत्री
3/7 मंजू पुत्री
3/8 अनिता पुत्री
} झींवरराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा निवासी चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. भरतराम उर्फ भगतराम पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –फौत

4/1 रामदेव पुत्र भरतराम } जाति ओड निवासी हाल गांव श्योपुरी
4/2 ममता पुत्री भरतराम } तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

5. अलावती पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत

5/1 सुटकी }
5/2 विमला } पुत्रियां अलावती
5/3 इन्द्रपाल पुत्र अलावती
} जाति ओड निवासी हाल चक 25 एमडी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

6. पार्वती } पुत्रियां बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा
7. सांवली } हाल चक 25 एमडी तहसील अनूपगढ जिला गंगानगर

8. जगदीश कुमार } पिसरान राजाराम जाति ओड निवासी लुढाना
9. रमेश कुमार } तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

10. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। **— रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2004 द्वारा सहायक कलक्टर, पीलीबंगा,

प्रकरण संख्या 25/2000 अनवान श्रवणराम बनाम राजाराम

उपस्थितिः–

श्री औमप्रकाश मोदी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मोहन मुंजाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट

श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 06.02.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी श्रवण कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 183 व 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि बीरूराम को पाकिस्तान से विस्थापित होने पर पाकिस्तान में छोड़ी गई जद्दी जायदाद भमि के बदले में चक 32 एसटीजी में कुल 24.19 बीघा भूमि मिली थी। जिसमें बीरूराम, बींझाराम, वादी व राजाराम बहिस्सा बराबर के अधिकारी थी। बींझाराम के फौत होने पर बींझाराम के वारिसान ने अपने हिस्सा की 1/4 हिस्सा भूमि का हक लेकर अपना खाता तकसीम करवा लिया। बींझाराम के वारिसान हंसराज वगैरह द्वारा खाता तकसीम करवाने के बाद शेष बची भूमि में वादी व बीरूराम व राजाराम वाद पत्र में वर्णित 4.734 है0 भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हुए। बीरूराम फौत हो चुका है। बीरूराम के फौत होने पर उसके हिस्सा की 1.578 है0 में वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 राजाराम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 2 से 7 का 1/3 हिस्सा के अधिकारी एवं खातेदार हैं। वादी इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं0 8 व 9 बीरूराम के हिस्सा की 1/3 हिस्सा भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा लिया जो गलत व खिलाफ कानून है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने बिना अधिकार जबरदस्ती कब्जा कर लिया जो बतौर अतिक्रमी काबिज हैं। वादी ने वाद पत्र में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित हिस्सा अनुसार प्रश्नगत भूमि का खातेदार घोषित करने प्रतिवादी संख्या 8 व 9 से प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिलाने एवं खाता विभाजन करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण सं0 8 व 9 ने प्रतिदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाद पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं। स्व0 बीरूराम द्वारा द्वारा प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में दिनांक 14.07.97 को अपने हिस्सा की भूमि की वसयीत कर दी है। वादी को शुरू से वसीयत की जानकारी थी। वादी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर दावा प्रस्तुत किया है। वसीयत के अनुसार ही भूमि का अंकन प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में विधि अनुसार हुआ है। प्रतिवादीगण ने वादी का वाद खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय कतई गलत, विधि विरूद्ध है। विवादित भूमि चक 32 एसटीजी प.नं. 15/337 किला नं. 1 ता 25 24.19 बीघा में बीरूराम का 1/4 हिस्सा का अधिकारी था। बीरूराम ने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि की कभी भी कोई वसीयत नहीं करवाई। रेसपोडेण्ट सं0 8 व 9 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बीरूराम के हिस्सा की भूमि का इन्तकाल बीरूराम की मृत्यु के बाद अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील पेश करने पर अदालत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा इन्तकाल निरस्त किया जा चुका है। रेस्पोडेण्ट सं0 8 व 9 का बीरूराम की भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। रेस्पोडेण्ट सं0 8 व 9 ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अधीनस्थ न्यायलाय ने तनकीवार निर्णय नहीं किया है। कानूनन प्रत्येक तनकी का साक्ष्य का विवेचन करते हुए प्रत्येक तनकी का निर्णय किया जाना आवश्यक है। तनकी पर निर्णय किये बिना किया गया निर्णय एवं डिक्री कानूनन शून्य है जो निर्णय एवं डिक्री की परिभाषा में नहीं आता है। रेस्पोडेण्ट सं0 8 व 9 द्वारा प्रस्तुत वसीयत पर अंगूठा किसका है अंगूठा निशान पर कोई नाम अंकित नहीं किया गया

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

है। प्रतिवादी सं0 8 व 9 द्वारा मुताबिक कानून वसीयतनामा को साबित नही किया गया है। वसीयतनामा के गवाहान स्वतन्त्र गवाहान नही है। भूमि में बीरूराम का 6 बीघा 12 बिस्वा का ही हक नहीं था। वसीयत पर अंगूठा निशान पर कोई नाम दर्ज नही किया गया है कि अंगूठा निशान किसका है। वसयीत अलग टाईप से टाईप की गई है उस पर तारीख बाद में अलग टाईप की गई हे। वसीयत पर गवाह मुंशराम का नाम टाईप किया गया है। बाद में मुंशराम का नाम कटकर अलग टाईप से प्रगटसिंह का नाम दर्ज किया गया है। वसीयत संदेहपुर्ण है। साक्ष्य में प्रतिवादी व उसके गवाह कहते है। कि वसीयत के समय मुंशराम साथ था जबकि मुंशीराम कहता है मेरे सामने बीरूराम ने कोई वसीयत नहीं करवाई इससे भी वसीयत फर्जी साबित होती है। यह कि प्रतिवादी ने भारती साक्ष्य अधिनियम 1925 की धारा 63 के अनुसार वसीयत को साबित नहीं है। गवाहान ने यह कथन नहीं किया है कि बीरूराम ने हमारे सामने स्वस्थ दिमाग से वसीयत करवाई और वसीयत पर सुन समझ कर हमारे सामने अूंगठा लगाया तथा हमने बीरूराम के कहने से वसीयत पर बीरूराम के सामने हस्ताक्षर किये। प्रतिवादी गवाहान के बयानों में परस्पर विराधाभाषी हैं। वसीयतनामा किसने टाईप किया, वसीयत पर कोई नाम दर्ज नहीं है ना ही उसकी मोहर है। जिस टाईपिस्ट को पेश किया है वह कहता है कि बीरूराम, मूलाराम, प्रगटसिंह को नही जानता। मैं राजाराम को जानता हूं। वह कहता है वसीयत के समय जगदीश व रमेश साथ नही थे। राजाराम कहता है रमेश साथ गया था। अन्य गवाह कहते हे। जगदीश साथ गया था। गवाह मूलाराम अपने बयानों में कहता है कि टाईपिस्ट ने राजाराम के कहे अनुसार वसीयत टाईप की थी। उक्त बयानों से वसीयत फर्जी कूटरचित संदेहजनक साबित होती है। वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणात्मक डिक्री, बेदखली एवं खाता विभाजन का दावा पेश किया था जो राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। प्रतिवादी ने जवाब दावा में वसीयत होने का कथन किया है जिसके जबाबुलजवाब में वादी ने कथन किया है कि बीरूराम ने कभी भी कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वसीयत नहीं करवाई। क्षेत्राधिकार के लिए दावा में किये गये कथन व अनुतोष को देखा जाता है। जवाब दावा में किये गये कथन को नहीं।

4. दावा में वादी ने अपने जुम्मे तनकीयात को पूरी तरह से साबित किया है। प्रतिवादी ने अपने जुम्मे किसी भी तनकी को साबित नही किया हें इसलिए वादी का दावा डिक्री किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा में 6 तकीयात बनाई थी। दोनों पक्षों के साक्ष्य के बाद बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने मुताबिक आज्ञात्मक प्रावधान आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के तहत प्रत्येक तनकी पर निर्णय पारित नही किया है। मुताबिक कानून अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्येक तनकी पर अलग–अलग निर्णय पारित करना आवश्यक है। इसके अभाव में निर्णय पारित शून्य एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर दावा वादी डिक्री किया जावे। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः काउण्टर क्लेम खारिजी आदेश यथावत रखा जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1989 पेज 168, आरआरडी 1995 पेज 27, एआईआर 1975 पेज 50, एआईआर 1976 पेज 377, आरएलडब्ल्यू 1989 पेज 498, आरएलडब्ल्यू 1995 पेज 17, डीएनजे 1998 पेज 150, आरआरटी 2016 पेज 1442, आरआरडी 2000 पेज 332, 391, आरआरडी 2001 पेज 415, आरआरडी 2002 पेज 691, आरआरडी 1984 पेज 691, आरआरडी 1984 पेज 280, आरआरडी 1984 पेज 85, आरआरटी 2003 पेज 709, आरआरटी 2008 पेज 1090, आरआरटी 2012 पेज 719, आरआरटी 2015 पेज 813, आरआरटी 2015 पेज 1283, आरआरडी 1998 पेज 44 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि स्व0 बीरूराम द्वारा प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में दिनांक 14.07.1997 को वसीयत कर दी है। वादी को इसकी शुरू से ही जानकारी थी। अपीलाण्ट/वादी ने जानबूझकर तथ्यों को छुपाकर दावा पस्तुत किया है उक्त वसीयत के अनुसार ही भूमि का अंकन प्रतिवादी सं0 8 व 9 के पक्ष में हुआ है। बीरूराम को प्रश्नगत 24.19 बीघा भूमि बतौर क्लेमेंट प्राप्त हुई थी स्व0 बीरूराम ने अपने जीवनकाल में इस भूमि को 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हिस्सों में विभाजित कर दिया था। एक–एक हिस्सा अपने पुत्रों बीरूराम, श्रवण, व राजाराम को दे दिया व एक हिस्सा अपने पास रखकर खाता तकसीम करवा दिया। बीरूराम ने अपने कब्जा काश्त में चक 32 एसटीजी की के प.न. 15/337 के किला नं. 12, 18, 19, 17, 22, 23 ता 25 की 6.04 बीघा भूमि रखी इसी का खाता तकसीम करवाया। बीरूराम ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से उक्त 6.04 बीघा भूमि की वसीयत अपनी स्वतंत्र इच्छा से एवं स्वस्थ चित्त से दिनांक 14.07.1997 को एक वसीयत उप पंजीयक पीलीबंगा प्रतिवादी सं0 8 व 9 जगदीश कुमार व रमेश कुमार पि0 राजाराम के पक्ष में तहरीर व तकमील करवाई। बीरूराम की मृत्यु के बाद इस भूमि का अंकन प्रतिवादीगण के पक्ष में हो गया है। अतः उक्त 6.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं0 8 व 9 का खाता अलग किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे एवं रेस्पोडण्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत भूमि बीरूराम को स्वयं को बतौर क्लेमेंट अलॉट हुई थी। बीरूराम ने इस भूमि को अपने हिस्सा 1/4 की वसीयत दिनांक 14.07.1997 को अपने दोनों पोतों जगदीश कुमार व रमेश कुमार पिसरान राजाराम के पक्ष में करवाई है। वसीयत पंजीबद्ध है एवं उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीबद्ध है। दोनों गवाहों मूलाराम व प्रगटसिंह ने स्व0 बीरूराम द्वारा अपनी इच्छा से वसीयत करना बतलाया है। वादी द्वारा इस वसीयत को किसी भी सिविल न्यायलाय में चुनौती नही दी है। अपीलाण्ट इस वसीयत के बारे में पूर्व से ही ज्ञान रहा है क्यों कि इस भूमि बाबत जो अन्य प्रकरण विचाराधीन थे उनमें इस वसीयत का हवाला दिया हुआ है। अतः अपीलाण्ट इस वसीयत के तथ्य को अपने दावा में छुपाकर इस्तकरारहक बेदखली एवं खाता तकसीम का दावा पेश किया है जो स्वीकार योग्य नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाट/वादी का दावा सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। प्रतिवादी सं0 1 राजाराम एवं प्रतिवादी सं0 8 व 9 जगदीश कुमार एवं रमेश कुमार ने अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हो सके कि उनके द्वारा चाहे गये किले उनके कब्जा काश्त में है। इस कारण प्रतिवादी सं0 8 व 9 का काउण्टर क्लेम खारिज किया गया है जो विधि सम्मत है। ऐसी उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2004 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 60/2004

आरसीएमएस नं. 2004/00040

श्रवण राम पुत्र बीरूराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
(राज0)–फौत

1. शांति देवी पत्नी श्रवण राम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा।
2. साहबराम पुत्र श्रवण जाति जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत
   2/1 चान्दनी बेवा साहबराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा
   2/2 इन्द्रपाल, 2/3 रामस्वरूप, 2/4 मंजू } पि0 साहबराम — जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा नाबालिगान जरिये माता चान्दनी बेवा साहबराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा
3. नौरंग लाल पुत्र श्रवण जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा
4. फूलां देवी
5. सीतादेवी
6. मोहरां देवी
7. कलावती
8. सावित्री

} पुत्रियां श्रवण जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजाराम पुत्र बीरूराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत
   1/1 सिंगारी पत्नी राजाराम
   1/2 विमला, 1/3 सुमित्रादेवी } पुत्रियां राजाराम — जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. हंसराज पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना पीलीबंगा–फौत

Scanned with OKEN Scanner

2/1 डाली पुत्री हंसराज } जाति ओड निवासी लुढाना हाल चक 25 एमडी

2/2 मनोहर पुत्र हंसराज तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।

2/3 चन्द्रभान पुत्र हंसराज –(कुंआरा फौत)

3. झींवर राम पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा हाल चक 25 एमडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर –फौत

3/1 कमला देवी पत्नी झींवरराम

3/2 रामलालपुत्र
3/4 रामदयाल पुत्र
3/5 निर्मला पुत्री
3/6 किस्तूरी पुत्री
3/7 मंजू पुत्री
3/8 अनिता पुत्री
} झींवरराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा निवासी चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

4. भरतराम उर्फ भगतराम पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। –फौत

4/1 रामदेव पुत्र भरतराम
4/2 ममता पुत्री भरतराम
} जाति ओड निवासी हाल गांव श्योपुरी तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

5. अलावती पुत्र बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा–फौत

5/1 सुटकी
5/2 विमला } पुत्रियां अलावती
5/3 इन्द्रपाल पुत्र अलावती
} जाति ओड निवासी हाल चक 25 एमडी अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

6. पार्वती
7. सांवली
} पुत्रियां बींझाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा हाल चक 25 एमडी तहसील अनूपगढ जिला गंगानगर

8. जगदीश कुमार
9. रमेश कुमार
} पिसरान राजाराम जाति ओड निवासी लुढाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

10. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा। **— रेस्पोडेंट्स**

Scanned with OKEN Scanner

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2004 द्वारा सहायक कलक्टर, पीलीबंगा,
प्रकरण संख्या 25/2000 अनवान श्रवणराम बनाम राजाराम

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री औमप्रकाश मोदी, अभिभाषक अपीलार्थी श्री मोहन मुंजाल, अभिभाषक रेस्पोडेंट, श्री खुशकरण सिह खोसा राजकीय अभिभाषक की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.05.2004 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 6.12.23 को जारी की गई।

6/12/23
(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner